संख्या- 53/942/बयालिस-2015-17(कालेज)/2007

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 03 जुलाई, 2015**

विषय :- जनपद फतेहपुर में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1112/नि0 फतेहपुर स्पो0का0/2014-15, दिनांक 28 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 3660/बयालिस-2010-17(कालेज)/2007, दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा उक्त योजना की लागत रू0 8114.78 लाख तथा रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 1994/बयालिस-2011-17(कालेज)/2007, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 द्वारा रू0 500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 1292/बयालिस-2012-17(कालेज)/2007, दिनांक 30 अगस्त, 2012 द्वारा रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। शासनादेश संख्या- 2033/बयालिस-2012-17(कालेज)/2007, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 द्वारा उक्त प्रायोजना को रू0 8214.78 लाख की लागत पर पुनरीक्षित करते हुए रू0 100.00 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या- 1113/बयालिस-2013-17(कालेज)/2007, दिनांक 11 मई, 2013 द्वारा रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त लागत में कार्य पूर्ण न होने तथा प्रायोजना की आवश्यकता के दृष्टिगत पुन: वित्त वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 8961.10 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप खेल विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकार एवं सक्षम लोकल आथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(3)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(4)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत वाट आउट आइटम्स पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत भवन निर्माण में कतिपय विशिष्टियां जैसे- क्रिकेट पिच हेतु सिन्थेटिक टर्फ, हॉकी फिल्ड हेतु सिन्थेटिक टर्फ, रनिंग ट्रेक हेतु सिन्थेटिक टर्फ, प्रशासनिक भवन में वाल पैनलिंग आदि जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर सम्मिलित किया गया है।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति वित्त व्यय समिति के उपयोगार्थ पी0एफ0ए0डी0 को भी उपलब्ध करायी जाये।

(8)- प्रायोजानान्तर्गत खेल जगत से जुडे हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन इस उद्देश्य से किया जाये जिससे प्रस्तावित निर्माण कार्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप सुनिश्चित हो सके।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत स्पिलिट ए0सी0, ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, हाईमास्ट लाइट, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, इ0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, फोटो फिनिश कैमरा एवं टेलीविजन कैमरा, सिन्थेटिक टर्फ, गोल पोस्ट, बैडमिन्टन एवं रेसलिंग हाल हेतु साउण्ड सिस्टम एवं उससे सम्बन्धित इक्यूपमेन्ट एवं एसेसरीज, आई0ए0ए0एफ0 स्टैन्डर्ड इक्यूपमेन्ट एवं एसेसरीज, पी0ए0 सिस्टम फर्नीचर, फिलट्रेशन प्लान्ट व अन्य उपकरण, सोलर वाटर, हीटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना का प्राविधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(10)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उललेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लगात में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(12)- लेबर सेस का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13)- प्रायोजनान्तर्गत मूल शासनादेश संख्या- 3660/बयालिस-2010-17(कालेज)/2007, दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं उपर्युक्त उल्लिखित अन्य शासनादेश में वर्णित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 891/दस-2015, दिनांक : 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 53/942(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- सचिव, स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
9- क्रीड़ाधिकारी, फतेहपुर।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in